

संरक्षण विकास एवं मू संरक्षण, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 18(आई-66)आईडब्ल्यूएमपी / निजमूस / 2011 / 1807-2083 दिनांक 17/5/12

समस्त परियोजना प्रबंधक,
धान्यशेख रोल कम डाटा सेंटर,
जिला परिषद (श्रीगंगानगर के अतिरिक्त)

विषय :- आईडब्ल्यूएमपी अन्तर्गत गठित उप समिति (जलग्रहण) के कार्यालय स्थापना बाबत।


समूचे जल संयोजक के द्वारा दि. आईडब्ल्यूएमपी (अनुसूच 2008) के अन्तर्गत जल संयोजक के समिति के अन्तर्गत प्रत्येक क्षेत्र में एक एक समिति (जलग्रहण) का गठन किया जा रहा है। समस्त क्षेत्रों में 2008 के अनुसूच 44 के अन्तर्गत जल संयोजक के अन्तर्गत जलग्रहण समितियों को गठित कर एक गठनित कार्यालय स्थापित करने का निर्देश दिया है।

निदेशालय स्तर से जिले हेतु गठित प्रभावी अधिकारियों के अन्तर्गत समिति, समीक्षा बैठक में सर्वो को अनुसर यह परिलक्षित हुआ है कि आईडब्ल्यूएमपी अन्तर्गत गठित जलग्रहण समितियों को समीक्षा के पत्रानुसार के अनुसूच कार्यलय भवन स्थापित नहीं किया है। कार्यालय के अभाव में जलग्रहण समितियों के स्तर पर स्थापित किये जाने वाले स्थलों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था नहीं हो सकेगी एवं ना ही जलग्रहण समितियों को दैनिक कार्य सम्पादन हेतु स्थान उपलब्ध होगा।

अतः निर्देशित किया जाता है कि आईडब्ल्यूएमपी अन्तर्गत नाम प्रथमोत्तर गठित सभी समितियों को विचार्य पर कार्यालय स्थान प्राथमिकता पर उपलब्ध कराया हेतु आवश्यक कार्यवाही अदितन्य सम्पादित की जाय। उक्त किराये पर होने वाला व्यय परियोजना हेतु सम्बन्ध प्रशासनिक मंत्र की सौचि में से बतन किया जायेगा।

उक्त कार्यालय के बाहर बार्ड इत्यादि लगाये जायें। कार्यालय में जलग्रहण समिति के पदाधिकारियों के नाम एवं पद इत्यादि का स्पष्ट उल्लेख हो। जलग्रहण समिति द्वारा सम्पादित कार्य की सूचनाएं भी प्रदर्शित की जायें। स्वयं सहायता समूहों एवं उपभोक्ता समूहों की बैठकों हेतु भी कार्यालय भवन उपयोग में लिया जायें।


उक्त कार्यवाही अदितन्य सम्पादित की जायें।


निदेशक

क्रमांक : एफ 18(आई-66)आईडब्ल्यूएमपी / निजमूस / 2011 / 1807-2083 दिनांक 17/5/12

प्रतिनिधि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1 मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय, जयपुर।
- 2 संयुक्त निदेशक (प्रशासन / एमआईईएस), निदेशालय, जयपुर।
- 3 उपनिदेशक (IWMPLH/IN/VA/VA/VA) / परियोजना अधिकारी (मू संसाधन), निदेशालय, जयपुर।
- 4 समस्त लेखाधिकारी (श्रीगंगानगर के अतिरिक्त), जिला परिषद
- 5 समस्त पी.आई.ए. एवं सहायक अभियन्ता, पंचायत समिति (श्रीगंगानगर जिले के अतिरिक्त)
- 6 ए.सी.पी., निदेशालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वेब साईट पर अपलोड करवायें।


निदेशक